

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु राज्य में विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यान्वयन एवं राज्य योजना अन्तर्गत रू०1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपयुक्त विषयान्तर्गत कहना है कि राज्य में विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्र का संचालन निविदा के माध्यम से चयनित गैर सरकारी संगठनों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। गैर सरकारी संगठनों को केन्द्र खोलने की तिथि से प्रथम तीन वर्षों के लिए केन्द्र संचालन की अनुमति दी गई थी।

2. विशेष आवासीय केन्द्रों में बाल श्रम से विमुक्त 6 से 14 साल के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रखा जाना था। इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही इन केन्द्रों में रखा जाना है। यह केन्द्र आवासीय है एवं विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्य धारा के विद्यालयों से जोड़ने से पहले उनके शैक्षणिक स्थिति के अनुसार ब्रिज कोर्स संबंधित केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही अगर विमुक्त बाल श्रमिक व्यवसायिक शिक्षा में रुचि रखता हो तो ऐसे बाल श्रमिकों को 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा। इन केन्द्रों में विमुक्त बाल श्रमिकों के सभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उन्हें स्वस्थ एवं सुरक्षित बचपन दिया जाना है एवं उनके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाना है।

3. राज्य में पूर्व में संचालित किए गये विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन पर हुए व्यय के भुगतान आदि हेतु निम्नवत व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. **राज्य योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि:** वित्तीय वर्ष 2025-26 में विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-01-पुनर्वास-लघु शीर्ष-202 अन्य पुनर्वास योजनाएं।

उप शीर्ष 0107 विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन के अन्तर्गत (विपत्र कोड-26-2235012020107) निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

विषय शीर्ष

उपमुख्य शीर्ष	01-पुनर्वास
लघु शीर्ष	202-अन्य पुनर्वास योजनाएं
उपशीर्ष	0107-विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन
विपत्र कोड	26-2235012020107

(राशि रुपये में)

विषय शीर्ष	आय-व्यय अनुमान 2025-2026
------------	-----------------------------

31-सहायता अनुदान

0107.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये)
योग-26-2235.01.202.0107.31 सहायता अनुदान	1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये)
योग-26-2235.01.202.0107-विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन	1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये)
योग-लघु शीर्ष-26-2235.01.202-अन्य पुनर्वास योजनाएं	1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये)
योग-26-2235.01 पुनर्वास	1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये)

- इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- विभाग द्वारा योजनान्तर्गत राशि का आवंटन संबंधित जिलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किया जायेगा। जिलों को आवंटित की गई राशि को निविदा के माध्यम से चयनित संस्थानों को संबंधित जिलों में विशेष आवासीय केन्द्र के संचालन हेतु कुल प्रावधानित/उपबंधित राशि का प्रथम त्रैमासिक किश्त का भुगतान BTRBTC Pre-Receipt Voucher प्राप्त कर अग्रिम के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं इसके पश्चात् अन्य त्रैमासिक किश्तों का भुगतान संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के पश्चात् किया जाएगा एवं योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में संबंधित जिलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।
- संस्थानों को उपलब्ध करायी गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC Form-42 में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को समर्पित करना होगा।
- संस्थानों द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रपत्र BTC Form-42 में Pre Audited Voucher के आधार पर BTC Form-42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में उपलब्ध कराया जाएगा।
- निविदा के माध्यम से चयनित संस्थानों को जिलों में विशेष आवासीय केन्द्र के संचालन हेतु कुल वार्षिक बजट की राशि का एक चौथाई अर्थात् प्रथम त्रैमासिक किश्त की राशि अग्रिम के रूप में संस्थानों द्वारा समान राशि का बैंक गारंटी समर्पित करने के पश्चात् भुगतान किया जाएगा। प्रथम किश्त के अग्रिम भुगतान के पश्चात् अन्य अनुवर्ती किश्तों को भुगतान संस्थानों द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र के पश्चात् ही होगी।

10. निविदा के माध्यम से चयनित संस्थानों को राशि का भुगतान छात्रों की संख्या के अनुसार अनुपातिक दर से किया जाएगा एवं लागू होने वाली सभी सांविधिक कटौतियाँ कर ली जाएंगी।
11. निविदा की शर्तों के अनुरूप चयनित संस्थानों को आवंटित केन्द्र के लिए विमुक्त बच्चों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथापि राज्य सरकार द्वारा भी इस उद्देश्य से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा एवं संबंधित जिलों में धावा दल अथवा अन्य माध्यम से विमुक्त तथा CLTS में निबंधित बच्चों को विशेष आवासीय केन्द्रों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
12. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758, दिनांक-31.05.2017 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्गत किया जाता है। यह चालू योजना है।
13. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन पृ०-145/टि० पर प्राप्त है।
14. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०-145/टि० पर प्राप्त है।
15. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपश्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त/ श्रम अधीक्षक होंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

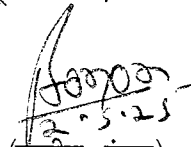
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-1/सी०एल०-10-09/2017 श्र०सं० 2268

पटना, दिनांक- 05/05/2025

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली /सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) एवं प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।